FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर   मुकाम : दौसा

रामनिवास **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमा– राजस्व अपील   मुकदमा नम्बर––131–सन्– 2019

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2020	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस हेतु पुनः अवसर चाहा गया। अधिवक्ता अपीलांट को पूर्व मे बहस हेतु एवं शपथ पत्र पेश करने हेतु बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न तो शपथ पत्र पेश किया गया और न ही बहस की गई। ऐसी स्थिति मे प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का गोठडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा मे इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल मीना निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा ने वाके ग्राम रूडमल का बास स्थित चारागाह भूमि खसरा नं0 4 रकबा 0.15 हेक्टेयर पर गेहूँ एवं 0.15 हेक्टेयर पर सरसों की काश्तकर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस की तामील होने पर बावजूद सूचना अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। पत्रावली मे संलग्न पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक कालाखो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे कैफियत पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना तथा फसल खरीफ मे भी बाजरा बोकर अतिक्रमण करना अंकित किया गया है। पटवारी हक्का के बयान के अनुसार रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल मीना पश्चावर्ती एव आदतन अतिचारी होना व्यक्त किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक कालाखो के हस्ताक्षर अंकित है। पत्रावली मे संलग्न फर्द मौका/बेदखली एवं फसल जब्ती दिनांक 05.04.2019 के अनुसार उक्त अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अवैध रूप से काश्त खडी फसल गेहू एवं सरसों को हक सरकार मे कब्जेराज लिया गया एवं जब्तशुदा फसल को नीलाम किया जाना अंकित किया गया है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नही करने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत पेश किये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नहीं है और न ही बार बार अवसर दिये जाने उपरांत भी इस न्यायालय मे कोई सबूत/शपथ पत्र पेश किया गया है। जिससे अपीलांट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि अपीलांट को सुनवाई/साक्ष्य/सबूत/शपथ पत्र पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना स्वंय अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही होने तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने तथा फर्द मौका/बेदखली एवं फसल जब्ती रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2019 मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। मुकदमा नं0 253/19 उनवानी सरकार बनाम रामनिवास मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2019 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (अविचल चतुर्वेदी) जिला कलक्टर, दौसा जिला कलक्टर, दौसा	तहसीलदार को पत्रांक 686 दिनांक 26-02-20 द्वारा मूल पत्रावली व निर्णय की प्रति प्रेषित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official